दिनाँक 6 फरवरी,1996 को सम्पन्न हुई कार्यकारी समिति की 30 वीं बैठक का कार्यवाही विवरण

.....

मध्यप्रदेश विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद की कार्यकारी समिति की 30 वीं बैठक दिनांक 6.2.96 को अपरानह्न 3.00 बजे माननीय श्री नरेन्द्र नाहटा मंत्री, मध्यप्रदेश शासन विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग की अध्यक्षता में निम्नलिखित सदस्यों की उपस्थिति में सम्पन्न हुई :-

(1) श्री अवनि वैश
सचिव, म0प्र0 शासन
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी

(2) श्री उदय वर्मा
उद्योग आयुक्त, उद्योग संचालनालय
म0प्र0 शासन.

(3) श्री सी.ए.केशवानी
संचालक, तकनीकी शिक्षा

(4) श्री सी.जे. जॉनी
संचालक, भारत सरकार,
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग
नई दिल्ली

(5) डॉ. राम प्रसाद
महानिदेशक
म0प्र0विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद

(6) श्री के.एम.जौहरी
कार्यकारी संचालक
म0प्र0 विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद.

सर्वप्रथम परिषद की ओर से श्री के.एम.जौहरी कार्यकारी संचालक ने माननीय मंत्री महोदय श्री नरेन्द्र नाहटा, जो कि कार्यकारी समिति के अध्यक्ष हैं का स्वागत किया एवं बैठक में उपस्थित महानुभावों का स्वागत किया । कार्यकारी समिति द्वारा माननीय डॉ. विजयलक्ष्मी साधौ(तत्कालीन मंत्री, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी) तथा श्री अरूण कुमार (तत्कालीन प्रमुख सचिव, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी) को परिषद की ओर से धन्यवाद ज्ञापन दिया गया । उपरोक्त दोनों महानुभावों ने क्रमशः अध्यक्ष कार्यकारी समिति तथा सदस्य सचिव एवं महानिदेशक के रूप में परिषद को समय समय पर आवश्यक सुझाव एवं मार्गदर्शन प्रदान किया को आभार प्रस्तुत किया गया ।

निरन्तर.....2

डॉ.आर.के.सिंह
कार्यकारी संचालक
म.प्र.वि.एवं प्रौद्यो.परि., भोपाल

तत्पश्चात् परिषद की गतिविधियों पर चर्चा की गयी । माननीय मंत्री महोदय ने परि गतिविधियों को जनोन्मुखी बनाने तथा लोकोपयोगी बनाने की ओर विशेष ध्यान देने का आग्रह सचिव, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी श्री अवनि वैश द्वारा यह सुझाव दिया गया कि भोपाल में स्थित ऐसे जिनके पास बड़े-2 पुस्तकालय हैं जैसा कि:- ब्रिटिश लायब्रेरी, ईप्को इत्यादि उनका आपस में तथा समन्वय के लिए एक बैठक आयोजित कर चर्चा की जा सकती है । समिति द्वारा विचार व्यक्त किया गया कि परिषद की केन्द्रीय प्रयोगशाला सुविधा(सी.एल.एफ.) के और उपयोग हेतु इसमें उपलब्ध सुविधाओं के उपयोग हेतु कृषि विभाग, स्वास्थ्य विभाग को कि प्रौद्योगिकी विभाग के सचिव के माध्यम से सम्पर्क किया जाये । पचमढ़ी में खगोलीय वेधशा स्थापना के संबंध में यह सुझाव दिया गया कि इस हेतु सम्पूर्ण राशि भारत शासन के कि प्रौद्योगिकी विभाग से माँगी जाये एवं भूमि के लिए राज्यशासन का योगदान माना जाये ।

तत्पश्चात् कार्यसूची पर चर्चा आंरभ हुई -

कार्यसूची क्रमांक(1): दिनांक 8 अगस्त, 1995 को सम्पन्न हुई कार्यकारी समिति की 29 वीं के कार्यवाही विवरण का सत्यापन ।

दिनांक 8 अगस्त 1995 को सम्पन्न कार्यकारी समिति की 29 वीं बैठक के कार्यवाही परिषद द्वारा समिति के अध्यक्ष से अनुमोदन पश्चात् सभी सदस्यों को भेजा जा चुका है ।

अत: उक्त बैठक का कार्यवाही विवरण का समिति द्वारा सत्यापन किया गया ।

कार्यसूची क्रमांक(2): 29 वीं बैठक में लिए गये निर्णयों का प्रगति प्रतिवेदन ।

कार्यकारी समिति के सदस्यों द्वारा लिए गये निर्णयों का प्रगति प्रतिवेदन से सदस्यों को कराया गया । टास्कफोर्स की संरचना के संबंध में भारत शासन के प्रतिनिधि ने कहा कि इसमें का कोई सदस्य नहीं है । यहाँ यह स्पष्ट किया जाना उचित होगा कि टास्कफोर्स का गठ महानिदेशक द्वारा किया है । अत: वे इसमें विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में भाग ले सकते परिषद की ओर से परिषद के किसी संचालन अथवा संयुक्त संचालक को सदस्य सचिव के रूप सदस्य नामांकित किया जाना चाहिए ।

कार्यसूची क्रमांक(3):मौलाना आजाद प्रौद्योगिकी महाविद्यालय (एम.ए.सी.टी.) भोपाल के परिसर 20 एकड़ भूमि परिषद को हस्तांतरित करने बाबत ।

मौलाना आजाद प्रौद्योगिकी महाविद्यालय के शासकीय निकाय की 95 वीं बैठक 24.11.95 के निर्णय के अनुसार परिषद को दी जाने वाली20एकड़ भूमि के बारे में निम्नानु सदस्यीय समिति का गठन किया गया :-

निरन्तर.

डॉ.आर.के.सिंह
कार्यकारी संचालक
एवं प्रौद्यो.परि.,भोपाल

1. महानिदेशक या उनके प्रतिनिधि(प्रो. आर.दासगुप्ता परियोजना संचालक)
2. प्रो. सी.ए.केशवानी संचालक तकनीकी शिक्षा
3. डॉ. एस.रवतानी प्राचार्य, एम.ए.सी.टी. भोपाल ।

समिति ने प्रश्नाधीन 20 एकड़ भूमि का स्थल निरीक्षण दिनांक 18.01.96 को किया । परिषद के प्रतिनिधि प्रो. आर. दासगुप्ता ने उक्त भूमि को परिषद के लिए उपयुक्त पाया । शर्तों के संबंध में प्राचार्य की ओर से यह बात कही गयी कि इसके लिए एक रूपये प्रति वर्गफीट के मान से 30 वर्ष के लिए म.प्र. विज्ञान एवं प्रौद्यौगिकी परिषद एम.ए.सी.टी. को लीजरेंट के रूप में दे । परिषद के प्रतिनिधि ने इस प्रस्ताव पर असहमति व्यक्त करते हुए इसे परिषद की कार्यकारी समिति की बैठक में प्रस्तुत करने का संकेत दिया क्योंकि परिषद की कार्यकारी समिति में दो सदस्य क्रमशः सचिव जनशक्ति नियोजन विभाग एवं संचालक तकनीकी शिक्षा सदस्यहैं, जो कि एम.ए.सी.टी. भोपाल के शासकीय निकाय के भी सदस्य हैं ।

उपरोक्त 3 सदस्यीय समिति का जो भूमि हस्तातंरण के बारे में विचार था, उसे कार्यकारी समिति में चर्चा में लाया गया । महानिदेशक की ओर से स्पष्ट किया गया कि उक्त भूमि शासन की ओर से एम.ए.सी.टी. को निःशुल्क प्रदाय की गयी थी । यह भी तथ्य है कि म0प्र0 विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद भी शासन का ही एक उपक्रम है तथा इससे भूमि का कोई उपयोग नहीं बदला जा रहा है । यदि वहां परिषद का प्रशासनिक भवन, पुस्तकालय, सुदूर संवेदन उपयोग केन्द्र तथा प्रयोगशाला इत्यादि स्थापित हो जाती हैं तो उससे एम.ए.सी.टी. के प्राध्यापकों एवं छात्रों को भी लाभ होगा । अतः इसके लिए कोई लीजरेंट लेना उचित नहीं होगा । वैसे भी परिषद की वित्तीय स्थिति ऐसी नहीं है कि वे प्रतिवर्ष 9-10 लाख रूपये लीजरेंट के रूप में दे सके । परिषद को जो भी राशि मिलती है व शासन से अनुदान के रूप में निश्चित मदों में ही प्राप्त होती है । इस तरह का लीजरेंट का कोई प्रावधान नहीं रखा है । सचिव जनशक्ति नियोजन ने बताया कि इस प्रकार का लीजरेंट देने में शासन सहमत नहीं होगा अतः यह भूमि बिना किसी लीजरेंट के परिषद को हस्तातंरित की जाये । इसी मत से संचालक तकनीकी शिक्षा भी सहमत थे । माननीय अध्यक्ष ने एम.ए.सी.टी. के परिसर में चयनित 20 एकड़ भूमि परिषद् को हस्तांतरित करने का निर्देश दिया ।

अतः **सर्व सम्मति** से यह निर्णय लिया गया कि - उक्त 20 एकड़ भूमि परिषद को अविलंब निःशुल्क हस्तातंरित की जाये जिसकी पुष्टि एम.ए.सी.टी. के अगले शासकीय निकाय की बैठक में ले ली जावेगी क्योंकि उसमें भारत शासन के प्रतिनिधि भी उपस्थित रहते हैं ।

कार्यसूची क्रमांक(4): संविदा नियुक्ति- प्रो. आर.दासगुप्ता , परियोजना संचालक ।

प्रो. आर.दासगुप्ता को दिनांक 01.11.95 से एक वर्ष की अवधि के लिए परिषद में परियोजना संचालक के पदनाम से संविदा नियुक्ति का अनुमोदन किया गया ।

निरन्तर.....4

डॉ.आर.के.सिंह
कार्यकारी संचालक
म.प्र.वि.एवं प्रौद्यो.परि., भोपाल

कार्यसूची क्रमांक(5): सुदूर संवेदन उपयोग केन्द्र के वैज्ञानिकों का सु.सं.तक. में प्रशि

प्रस्ताव सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया । अध्यक्ष महोदय द्वारा यह भी निर्दे कि प्रशिक्षण में न जाने वाले वैज्ञानिकों/कार्टोग्राफर्स के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही व जिसे समय समय पर इस समिति को भी अवगत कराया जाना चाहिए ।

काग्रसूची क्रमांक(6): सुदूर संवेदन उपयोग केन्द्र के वैज्ञानिकों की वरिष्ठता निर्धारण ।

सदस्यों द्वारा यह विचार व्यक्त किया गया कि इस बारे में यह अध्ययन किया संस्थानों में इस प्रकार के प्रकरणों में क्या हो रहा है एवं क्या स्थिति है ? समिति की रखा जा सकता है ।

कार्यसूची क्रमांक(7): परिषद की वार्षिक योजना वर्ष 96-97 का अनुमोदन ।

चर्चा में यह पाया गया कि प्रस्तुत बजट केवल आयोजना बजट है इसका अनुमो किन्तु यह भी चाहा गया कि आगामी बैठक में आयोजनेत्तर बजट, भारत शासन या अन्य धनराशि को भी सम्मिलित कर अन्य स्वायत्तशासी संस्थानों जैसे अपना बजट तैयार क जाये ।

.....

डॉ.आर.के.सिंह
कार्यकारी संचालक
म.प्र.वि.एवं प्रौद्यो.परि., भोपाल